

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सं. 59/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.1415 (अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 41/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1255(अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “15 नवम्बर, 2017” शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर “24 दिसम्बर, 2017” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव,

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 41/2017 – केन्द्रीय कर तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1255(अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड-3, उपखंड(i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

No. 59/2017 – Central Tax

G.S.R.1415 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 39 read with Section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 41/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1255(E), dated the 13th October, 2017, namely:—

In the said notification, for the words, figures and letters “the 15th day of November, 2017”, the words, figures and letters “the 24th day of December, 2017” shall be substituted.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note:—The principal notification No.41/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1255 (E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

नं. 60/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1416 (अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39(6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 63 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (5) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-5 में किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा अपनी विवरणी भरने के मामले में जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 मास के लिए समय सीमा को 11 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाते हैं।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

No. 60/2017 – Central Tax

G.S.R.1416 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 39 read with Section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by a non-resident taxable person, in **FORM GSTR-5**, under sub-section (5) of Section 39 of the said Act read with rule 63 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the months of July, 2017, August, 2017, September, 2017 and October, 2017 till the 11th day of December, 2017.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सं. 61/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1417 (अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा(6) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संख्या सा.का.नि. 1256 (अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 42/2017 केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 को अधिकांत करते हुए जिनका ऐसा अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है, आयुक्त एकीकृत माल और सेवा कर, अधिनियम, 2017 की धारा 14 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना देनेवाले डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सेवाओं को प्रदान करनेवाले व्यक्ति के लिए जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 और अक्तूबर, 2017 मास की विवरणी के प्ररूप जीएसटीआर-5क की समय सीमा 15 दिसंबर, 2017 तक बढ़ादी है।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

No. 61/2017 – Central Tax

G.S.R. 1417 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 39 read with Section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and in supersession of notification No. 42/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1256 (E), dated the 13th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return in **FORM GSTR-5A** for the month of July, 2017, August, 2017, September, 2017 and October, 2017 by a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in Section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and rule 64 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 15th day of December, 2017.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.